

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

आदेश

(शुद्धि पत्र)

अ०सं०— वि० प्रा० (III) स्था०—08/2025/

/पटना, दिनांक —

विभागीय आदेश संख्या—2594, दिनांक—06.05.2026 में सम्मुख—4 में अंकित प्रयोजनार्थ आदेश निर्गत की तिथि से “त्याग—पत्र स्वीकृत किया जाता है” के स्थान पर “विरमित किया जाता है” पढ़ा जाय।

2. उक्त आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—

(अहमद महमुद)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक— वि० प्रा० (III) स्था०—08/2025/ 4561

/पटना, दिनांक — 11.08.26

प्रतिलिपि— सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/संबंधित प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों एवं संबंधित व्याख्याता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव।